16.3.18 पत्रावली पेश हुई। दोनों प्रार्थीगण उपस्थित। दोनों प्रार्थीगण के बहस सुनी चाही। दोनों प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश देखे पत्रावली दिनांक 26.3.18 को पेश हो।

26.3.18 पत्रावली पेश हुई। दोनों प्रार्थीगण उपस्थित। दोनों प्रार्थीगण के बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के दिनांक तथा दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इल्तजा की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस पर मनन किया। विवादित आराजियात ग्राम पर तहसील फतेहाबाद में स्थित होकर गणेश S/o कालू, गणेश S/o करतापुर, रूपी बेवा करतापुर, मोहन S/o राम, नारायण S/o मोड़ा भंगी (हरिजन) के नाम दर्ज थे। जिकरी तारीख इन्तकाल राजस्व के अनुसार जमाबंदी में नकल वास्ते 2036 से 2039 के होती है। रकबा परिशोधन पत्र के विवादित आराजियात कालू S/o गंगाराम, करतापुर S/o दूला, मोहन S/o राम, नारायण S/o मोड़ा भंगी के नाम दर्ज रहे थे। कालू के आराजात के रूप में नाम व कागजों में नाम के वारिकान के रूप में भैरू व रहेजा थे। जिकरी तारीख इन्तकाल रकबा परिशोधन पत्र की कोटे प्रति के होती है। वर्तमान राजस्व रकबा परिशोधन पत्र की कोटे प्रति में विवादित आराजियात गणेश S/o कालू, कालू S/o मोहन, भैरू, रूपा, शंकर S/o लादू (माता राधा) दुर्गा D/o शंकर (माता शांति) नारायण S/o मोड़ा भंगी, कलिया W/o बाबूलाल मेघवाल खातेदार देह के नाम दर्ज है। जरिये इन्तकाल नम्बर 2305 दिनांक 27-11-14 के द्वारा विक्रय कर्ता नारायण S/o मोड़ा के वास्ते प्रहलाद, गोपाल, D/o नारायण, शांति, इन्द्राज, लादू D/o नारायण के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जरिये इन्तकाल नं. 2599 दिनांक 8-12-2015 के द्वारा एक खातेदार के रकबा बिघा 5 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा के भैरू, रूपा, शंकर S/o लादू (माता राधा) दुर्गा D/o सूरा (माता शांति) के पक्ष में कलिया W/o बाबूलाल मेघवाल खातेदार देह के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिकरी तारीख इन्तकाल राजस्व अभिलेख में जमाबंदी की नकल वास्ते 2039 से 2077 के होती है।

प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित काश्तकारी मार्ग व नाला के नाम पर दर्ज थी। लेकिन मौके पर मौजा में विवादित काश्तकारी मार्ग के कब्जा रास्ता तथा नाला के कब्जा मौजा दर्ज कर दी गयी। किसी तरह प्रस्तुत के कब्जा मौजा दर्ज कर दी गयी। किसी तरह प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल सम्वत 2036 से 2039 से होती है। जिसमें रास्ते के कब्जा रास्ता रिकॉर्ड है तथा नाला के कब्जा मौजा रिकॉर्ड है। जबकि वर्तमान राजस्व नाला के कब्जा मौजा रिकॉर्ड है। जबकि सही मायने में भी मौजा रास्ता रिकॉर्ड है जबकि सही रकबा नाला का रास्ता होना चाहिये। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में सही रकबा का संशोधन चाहते हैं विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के खण्डन में न तो आपत्ति लेकर जवाब प्रस्तुत किया। न ही स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज ही प्रस्तुत किये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R.Act के तहत दर्ज करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ। इति।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R.Act का स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत हलकापुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 8844, 8845, 8852, 8853, 8854 कुल क्षेत्रफल 5 बीघा 5 बिस्वा 12 बिस्वांसी में प्रार्थीगण के दादा व परदादा का नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार दादा व परदादा का नाम नाला के नाम पर नाला व रास्ते के स्थान पर रास्ता दर्ज किया जावे। निर्णय की पालना किये जाने बाबत तहसीलदार भीलवाड़ा को निर्णय की प्रति निजपत्र द्वारा लिखा जावे। पटवारी के काम सुधार की जरूरत समझता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner